

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्डुनु)

पीठारी अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा  
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 148/2018

बनवारीलाल भीणा पुत्र बिलासाराम भीणा जाति भीणा निवारी टोडपुरा तहसील नवलगढ

-वादीगण

बनाम

1. विजयकुमार उर्फ बिजू पुत्र लाखू
2. सोनू
3. बाबलूलाल
4. भवरलाल पुत्रान लाखू
5. लक्ष्मी
6. सुप्यार
7. सरोज
8. सुमन पुत्रिया लाखू
9. गिनूडीदेवी पत्नी लाखू
10. रामेश्वर पुत्र गंगा
11. किशनाराम
12. धर्मलाल पुत्रान जगन्नाथ प्रसाद
13. किरण पुत्री जगन्नाथ प्रसाद
14. रामकोरी पत्नी नारायणराम जाति भीणा ग्राम टोडपुरा तहसील नवलगढ
15. प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा उदयपुरवाटी तहसील नवलगढ

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनु  
-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत घोषणार्थ, विधिवत विभाजन

वकील वादी श्री विप्लव पंडित

वकील प्रति

प्राथमिक-निर्णय

निर्णय तिथि 01.08.2019

वादीगण दिनांक 09.05.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2019/1285 दिनांक 26.06.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नहीं होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू.अ./2019/1285 दिनांक 26.06.2019 राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा ( आर0ए0एस0)

दावा: बाबत घोषणार्थ, विधिवत विभाजन

मुकदमा सं०:- 148/2018 (बनवारीलाल मीणा बनाम विजयकुमार आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा ( आर0ए0एस0),  
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादी मिनजानिब मुद्दई -वकील प्रतिवादीगण मनजानिब  
मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 01.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया  
जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है  
कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भूअ./2019/1285 दिनांक 26.06.2019 राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त  
कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल  
कराया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद  
फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करे।  
वसक्त निरादस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 01 माह 08 सन 2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
मोहर  
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिशनर	-	फीस कमिशनर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00